न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ।

पीठासीन अधिकारी :– प्रकाश चन्द्र चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 02/2016

अनवान:– राजस्थान राज्य जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना गोलूवाला।

प्रार्थी

बनाम

श्री जेठू सिंह पुत्र उम्मेद सिंह जाति राजपूत सा. राईयांवाली पु0था0 सूरतगढ।

अप्रार्थी

मुकदमा अन्र्तगत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थित:– 1 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता।

2 श्री महेश शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी।

–:निर्णय:–

दिनांक:–09.10.2017

राजस्थान राज्य जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना गोलूवाला द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया । जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 04.2.16 वृत संगरिया को जरिये टेलीफोन सूचना मिली कि थाना हाजा पर आज वक्त 4.00 एएम पर एसएचओ मय स्टाफ द्वारा अप्रार्थी जेठू सिंह की गाडी बोलेरो पिकअप बिना नम्बरी बरंग सफेद में 1150 लीटर डीजल डिटेन किया जाकर थाना परिसर में खडा किया है। चालक के पास कोई कागजात वा परिवहन का कोई लाईसेंस व परमिट नहीं है। डीजल पंजाब से लाना बताया जो राजस्थान सरकार की अधिसूचना के अनुसार लाईसेंसधारी व्यापारी के अलावा किसी व्यक्ति द्वारा 1000 लीटर डीजल से अधिक कब्जा में रखना व परिवहन करना जुर्म धारा 3/7 ईसी एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध है। मु0नं0 27/16 धारा 3/7 ईसी एक्ट में दर्ज किया गया। जब्त वजह 5 ड्रमों में 1150 लीटर डीजल व पिकअप के निस्तारण हेतु निवेदन किया गया।

प्रथमतः प्रकरण श्रीमान् जिला कलक्टर हनुमानगढ के न्यायालय में दिनांक 26.02.16 को पेश हुआ, तत्पश्चात् प्रकरण इस न्यायालय को स्थानान्तरण हुआ और दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपना जबाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी के जबाब में अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति अपने पास 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ का संग्रहण कर सकता है। वरवक्त चैंकिग प्रार्थी से 1150 लीटर डीजल जब्त किया गया है चूंकि उक्त डीजल इन्द्राज व शंकरलाल का शेरगढ फिलिंग स्टेशन पंजाब से खरीद कर अपने कृषि कार्य हेतु उपयोग व उपभोग के लिए लेकर अपने गांव आ रहे थे। उक्त वाहन अप्रार्थी चला रहा था और उस समय इन्द्राज व शंकरलाल साथ ही थे। प्रत्येक के कब्जा का डीजल 1000 लीटर ही अनुज्ञा सीमा में था जो कि राज्य सरकार के अधिसूचना का उल्लंघन नहीं किया है। काशतकार द्वारा खरीदशुद्धा डीजल का बिल भी वरवक्त चेंकिग पुलिस अधिकारी को पेश किया था परन्तु पुलिस वालों ने उक्त वाहन को गोलूवाला थाना ले आये। पुलिसथाना में भी काश्तकारों द्वारा खरीदशुद्धा डीजल का बिल दिखाया परन्तु पुलिस अधिकारी नहीं माने। अतः इन्द्राज व शंकर लाल का डीजल उनको लौटाया जाकर प्रार्थी के विरूद्ध धारा 6 ए की कार्यवाही समाप्त की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से 1000 लीटर से अधिक डीजल का बिना लाईसेंस व परमिट परिवहन किया गया है। इसलिए जब्त शुद्धा 1150 लीटर डीजल को राजसात किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने जबाब में अंकित कथनों को दोहराते हुए बहस में तर्क किया कि जब्त शुद्धा डीजल दो काश्तकारों का पंजाब से खरीद कर उक्त पिकअप जिसका अप्रार्थी चालक था उसमें लाया जा रहा था। केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना के अनुसार कोई भी व्यक्ति 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ रख सकता है। अपनी बहस में समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2011(2)कि0लॉ. रिपोर्टर(राज0) 1683 व 2016(1) कि.लॉ.रिपोर्टर (राज0) पेज 506 प्रस्तुत किये गये।

बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया गया । अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी के साथ जिन काश्तकारों का डीजल था उनके द्वारा पुलिस अधिकारियों को डीजल के बिल जब्ती के समय दिखाये थे परन्तु पुलिस अधिकारियों ने इनको नहीं माना । यदि इनके पास वरवक्त डीजल जब्ती खरीद के बिल होते तो पुलिस अधिकारी आवश्यक रूप से इनका उल्लेख प्रकरण में दर्ज करते । अप्रार्थी का इस प्रकार कहना कि डीजल के बिल उनके पास जब्ती के समय थे मात्र पश्चात्वर्ती सोच (After Thought) प्रतीत होते हैं। राज्य सरकार के मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 अधिनियम के खण्ड 7 के अनुसार केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी या पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति से अन्यून कोई पुलिस अधिकारी अधिकृत है। हस्तगत प्रकरण में डीजल जब्ती पुलिस उप अधीक्षक द्वारा की गयी है। जो नियमों में ऐसी कार्यवाही के लिए अधिकृत हैं। आदेशानुसार ऐसे प्रकरणों में जब्ती की अधिकारिता है।

अतः अप्रार्थी से जब्त शुद्धा 1150 लीटर डीजल को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्त शुद्धा डीजल की राशि 53650/– चा0नं0 0010784882 दिनांक 03.03.2016 से राजकोष में जमा कराये जा चुके हैं। जब्त शुद्धा खाली 5 ड्रमों को जरिये नीलामी नीलाम कर नीलामी राशि राजकोष में जमा कराने के आदेश थानाधिकारी पुलिस थाना गोलूवाला को आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ व थानाधिकारी पुलिस थाना गोलूवाला को पालनार्थ प्रेषित की जावे। जब्त शुद्धा पिकअप का निस्तारण सक्षम न्यायालय के निर्णय पर आधारित रहेगा। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़